छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2007–2008

छत्तीसगढ़ शासन

भारसाधक मंत्री	डॉ. रमन सिंह, मुख्य मंत्री
संसदीय सचिव	श्री संजीव शाह

मंत्रालय

सचिव	श्री बी.एल. ठाकुर
संयुक्त सचिव	श्री एम.के. त्यागी
अवर सचिव	श्री संजय कनकने

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म

संचालक	श्री एम.के. त्यागी

अनुक्रमणिका

भाग–एक			पृष्ठ
	1.1	विभागीय संरचना, अधीनस्थ कार्यालय एवं उपक्रम	01
	1.2	विभाग के दायित्व	02
भाग–दो			
	2.1	प्रदेश में पाये जाने वाले खनिजों से संबंधित सामान्य जानकारी	03
	2.2	प्रमुख सांख्यिकी	06
भाग–तीन			
		विभागीय बजट	
	3.1	बजट प्रावधान तथा व्यय	08
	3.2	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि के लिए प्रावधान	09
भाग–चार			
		विभाग व्दारा सम्पादित कार्य	
	4.1	खनिज अन्वेषण कार्य	10
	4.2	खनिज प्रयोगशालाएं	13
	4.3	खनिज प्रशासन	14
भाग–पांच			
		छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.एम.डी.सी.)	19
भाग–छः			
		प्रकाशन, प्रशिक्षण एवं सेमिनार सम्मेलन	26
भाग–सात			
		सारांश	27

भाग – एक

1.1 विभागीय संरचना, अधीनस्थ कार्यालय एवं उपक्रम

खनिज साधन विभाग अपने अधीनस्थ संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म तथा छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से राज्य में प्रकृति प्रदत्त खनिजों के अन्वेषण, दोहन एवं विकास हेतु सतत् प्रयत्नशील है।

1.1.1 छत्तीसगढ़ शासन के खनिज साधन विभाग के अन्तर्गत संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म का मुख्यालय रायपुर में है। संचालनालय की विभागीय संरचना निम्नानुसार है :–

जिनके नियंत्रण में कार्य हो रहा है.	कार्यालय	स्थान
संचालक	मुख्यालय	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ, सोनाखान भवन, रायपुर
क्षेत्रीय प्रमुख	क्षेत्रीय कार्यालय	रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर
जिलाध्यक्ष / खनि अधिकारी / सहायक खनि अधिकारी	खनि शाखा, जिलाध्यक्ष कार्यालय	समस्त जिलों में

1.1.2 छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय रायपुर में है, कार्पोरेशन की संरचना निम्नानुसार हैः–

जिनके नियंत्रण में कार्य हो रहा है.	कार्यालय	स्थान
प्रबंध संचालक	मुख्यालय	सोनाखान भवन, रायपुर
प्रभारी अधिकारी	उप कार्यालय	अम्बिकापुर,, दंतेवाड़ा

1.1.3 संचालनालय में खनिज सर्वेक्षण कार्य को गुणात्मक बनाने के लिये निम्नानुसार प्रयोगशालाएं कार्यरत है :–

मुख्यालय, रायपुर	भू–भौतिकी, फोटो भौमिकी शाखा एवं रासायनिक तथा प्रस्तर प्रयोगशाला
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	रासायनिक प्रयोगशाला
क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	कोयला प्रयोगशाला
क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	रासायनिक प्रयोगशाला

1.1.4 भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय के लिए स्वीकृत और कार्यरत अमला निम्नानुसार है :—

श्रेणी	कुल पद	कार्यरत अमला
राजपत्रित		
प्रथम श्रेणी	35	25
द्वितीय श्रेणी	52	30
अराजपत्रित तृतीय श्रेणी		
अलिपिकवर्गीय	205	156
लिपिक वर्गीय	111	99
चतुर्थ श्रेणी	106	87
नैमित्तिक देय		
तृतीय श्रेणी	38	27
चतुर्थ श्रेणी	16	14
कलेक्टर दर		
तृतीय श्रेणी	5	0
चतुर्थ श्रेणी	3	3
योग	**571**	**441**

नोटः— राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित खनिज जांच चौकियों हेतु 270 पद भी स्वीकृत किये गऐ है । इन पदों पर छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के 108 तथा राज्य परिवहन निगम के 115 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ।

1.2 विभाग के दायित्व

खनिज साधन विभाग के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार हैः—

(क) **नीति संबंधी विषयः**

1. खनिज संसाधनों की खोज, पूर्वेक्षण एवं आकलन.
2. खान एवं खनिजों का विनियमन एवं विकास
3. पट्टे, रियायतें देना तथा खनिज राजस्व का संग्रहण.
4. खनिज अधिकारों पर कर.

(ख) **विभाग व्दारा प्रशासित अधिनियम और नियमः**

1. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957.
2. खनिज रियायत नियम, 1960.
3. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996.

(ग) **विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालयः**

1. भौमिकी तथा खनिकर्म, संचालनालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय.

(घ) **अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगमः**

1. छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड.

भाग–दो

2.1 प्रदेश में पाये जाने वाले खनिजों से संबंधित सामान्य जानकारी

राज्य में उपलब्ध प्रमुख खनिजों के भण्डार तथा उत्पादन निम्नानुसार है :–

2.1.1 **कोयला–** ऊर्जा का प्रमुख स्त्रोत कोयला, प्रदेश के खनिज राजस्व में लगभग 80.42 प्रतिशत योगदान कर रहा है । छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले के 41442 मिलियन टन भण्डार है जो कि राष्ट्र के कोयला भण्डार का 16.36 प्रतिशत है। राष्ट्र के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ की सहभागिता 18.08 प्रतिशत है तथा कोयला उत्पादक प्रदेशों में यह राज्य द्वितीय क्रम में है। वर्ष 2006–07 में 832.45 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ, जिसका मूल्य रूपये 5017.74 करोड़ था। वर्ष 2007–08 में माह दिसम्बर 2007 तक 603.38 लाख टन का उत्पादन हुआ है। प्रदेश में उत्पादित कोयले का उपयोग राष्ट्र तथा प्रदेश स्तरीय वृहत् ताप विद्युत संयंत्रों के अतिरिक्त सीमेंट एवं इस्पात आदि उद्योगों में हो रहा है।

2.1.2 **लौह अयस्क–** इस प्रदेश में दल्ली राजहरा से विश्व प्रसिद्ध बैलाडीला तक की पर्वत श्रृंखलाओं में लौह अयस्क के 2731 मिलियन टन भण्डार मौजूद है, जो कि राष्ट्रीय लौह अयस्क भण्डार का लगभग 18.67 प्रतिशत है। राष्ट्र के लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ की सहभागिता 16.20 प्रतिशत है। इस प्रदेश को राष्ट्र के लौह अयस्क खनिज उत्पादक राज्यों में तृतीय स्थान प्राप्त है। लौह अयस्क का उत्पादन दन्तेवाड़ा, दुर्ग, कांकेर एवं राजनांदगांव जिलों में हो रहा है। वर्ष 2006–07 में 288.11 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ जिसका मूल्य 1736.72 करोड़ रूपये था। वर्ष 2007–08 में माह दिसम्बर 2007 तक 206.78 लाख टन का उत्पादन हुआ है। लौह अयस्क का उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र के दन्तेवाड़ा स्थित एन.एम.डी.सी. लिमिटेड की बैलाडीला खानों में तथा दुर्ग जिले में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र की दल्ली राजहरा खानों से हो रहा है। अल्प मात्रा में लौह अयस्क का उत्पादन निजी क्षेत्र के अन्तर्गत राजनांदगॉव तथा कांकेर जिलों में भी किया जा रहा है ।

2.1.3 **टिन अयस्क–** सामरिक महत्व के खनिज टिन अयस्क के राष्ट्रीय भण्डार में 37.69 प्रतिशत का योगदान है। इस खनिज का शत–प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ के दन्तेवाड़ा जिले में राज्य शासन के उपक्रम छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन व्दारा किया जा रहा है। वर्ष 2006–07 में 103338 किलोग्राम टिन अयस्क का उत्पादन हुआ, जिसका मूल्य 188.00 लाख रूपये था। वर्ष 2007–08 में माह दिसम्बर 2007 तक 35901 किलोग्राम का उत्पादन हुआ है । टिन अयस्क का क्रय अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है।

2.1.4 **बाक्साइट–** छत्तीसगढ़ में 148 मिलियन टन बाक्साइट के भंडार उपलब्ध है, जो कि देश के बाक्साइट भंडार का 4.50 प्रतिशत है। देश के बाक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का सहयोग 9.48 प्रतिशत है। बाक्साइट का उत्पादन प्रदेश के सरगुजा, कवर्धा तथा कांकेर जिलों में हो रहा है। वर्ष 2006–07 में 15.93 लाख टन बाक्साइट का उत्पादन हुआ जिसका मूल्य 43.92 करोड़ रूपये था। वर्ष 2007–08 में माह दिसम्बर 2007 तक 14.13 लाख टन का उत्पादन हुआ है। मुख्य रूप से बाक्साइट का उत्पादन मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी कोरबा, मेसर्स हिन्डालको, रेनुकूट (उ.प्र.) तथा छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य के सरगुजा

तथा कबीरधाम जिले में उन्हें स्वीकृत बाक्साइट के खनिपट्टे क्षेत्रों से किया जा रहा है। प्रदेश में उत्पादित बाक्साइट का प्रमुख उपयोग एल्युमिनियम उद्योग में हो रहा है।

2.1.5 **चूनापत्थर–** छत्तीसगढ़ में सभी श्रेणी के चूनापत्थर के 9038 मिलियन टन भंडार मौजूद है जो कि राष्ट्रीय भंडार का 5.15 प्रतिशत है। राष्ट्र के चूनापत्थर उत्पादन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी 9.15 प्रतिशत की है। वर्ष 2006–07 में प्रदेश में 150.11 लाख टन चूनापत्थर का उत्पादन हुआ, जिसका मूल्य 227.85 करोड़ रूपये है। वर्ष 2007–08 में माह दिसम्बर 2007 तक 106.76 लाख टन का उत्पादन हुआ है। रायपुर जिले में चूनापत्थर की बहुतायत होने से इस जिले में लाफार्ज, सेंचुरी, अल्ट्राटेक, ग्रासिम तथा अंबुजा सीमेंट संयंत्र स्थापित है । अधिक संख्या में सीमेंट संयंत्र कार्यरत होने से रायपुर जिले में चूनापत्थर का उत्पादन भी सर्वाधिक है। वर्ष 2007–08 में 75 लाख टन वार्षिक क्षमता के 3 नये सीमेंट संयंत्र स्थापित करने तथा 2 कार्यरत सीमेंट संयंत्रों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु चूनापत्थर की खनिज रियायतें स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

2.1.6 **डोलोमाइट–** छत्तीसगढ़ में डोलोमाइट भण्डारों की मात्रा 847 मिलियन टन है, जो कि राष्ट्र के भण्डारों का 11.24 प्रतिशत है। उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान राष्ट्र के डोलोमाइट उत्पादक राज्यों में द्वितीय है। वर्ष 2006–07 में 10.93 लाख टन डोलोमाइट का उत्पादन हुआ, जिसका मूल्य 25.00 करोड़ रूपये था। वर्ष 2007–08 में माह दिसम्बर 2007 तक 8.20 लाख टन का उत्पादन हुआ है। डोलोमाइट का प्रमुख उपयोग इस्पात संयंत्रों में होता है। बिलासपुर में उत्पादित डोलोमाइट भिलाई इस्पात संयंत्र की मांग की पूर्ति के साथ ही राज्य के बाहर के इस्पात संयंत्रों को भी भेजा जाता है।

2.1.7 **छत्तीसगढ़ में पाये जाने वाले अन्य खनिज–** राज्य में हीरा, स्वर्ण धातु, गारनेट, एलेक्जेन्ड्राइट, कोरण्डम तथा फ्लुओराइट खनिज भी पाये जाते है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। वर्तमान में इन खनिजों का उत्पादन नहीं हो रहा है परन्तु निकट भविष्य में इन खनिजों के उत्पादन की संभावनायें हैः–

- **हीरा–** यह सर्वाधिक चर्चित खनिज है। प्रदेश में हीरे की खोज ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है। रायपुर जिले के मैनपुर क्षेत्र में हीरा खनिज की मातृशिला किम्बरलाइट के छः पाइप बेहराडीह, पायलीखंड, जांगड़ा, कोदोमाली, कोसमबुड़ा एवं बेहराडीह टेम्पल क्षेत्रों में अंकित किये गये है। इनमें से बेहराडीह तथा पायलीखंड क्षेत्रों के किम्बरलाइट पाइप में हीरे की उपस्थिति प्रमाणित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्रों में स्वीकृत खनि रियायतों के फलस्वरूप राज्य के अन्य जिलों में भी हीरे की उपस्थिति प्रमाणित की गई है।

- **स्वर्ण धातु–** जिला रायपुर के सोनाखान क्षेत्र में विभाग व्दारा स्वर्ण के 2780 कि.ग्रा. भण्डार प्रमाणित किए गए है। जशपुर जिले के बरजोर–तपकरा क्षेत्र में नदियों की रेत में स्वर्ण कण पाए जाते है। इस क्षेत्र में प्रारंभिक सर्वेक्षण के दौरान 25 किलोग्राम जलोढ़ स्वर्ण (प्लेसर गोल्ड) के भण्डार विदित हुये है। कांकेर जिले में भी स्वर्ण पाये जाने के संकेत भी निजी क्षेत्र में स्वीकृत आर.पी. के तहत् प्राप्त हुये है।

- **गारनेट–** जिला रायपुर में गारनेट खनिज देवभोग क्षेत्र के गोहेकला, धूपकोट, लाटापारा तथा कॉदूवन क्षेत्रों में पाया जाता है। गारनेट खनिज का उपयोग एब्रेसिव उद्योग में होता है। रत्न/उपरत्न श्रेणी के गारनेट का उपयोग आभूषणों में होता है।

- **एलेक्जेन्ड्राइट–** यह दुर्लभ एवं बहुमूल्य खनिज जिला रायपुर के सेंदमुड़ा (देवभोग) क्षेत्र में पाया जाता है। इस खनिज के सर्वेक्षण के प्रथम चरण में 1918 बोरी मिट्टी की धुलाई से एलेक्जेन्ड्राइट के 651 टुकड़े एकत्र किये गये, जिनका सम्मिलित वजन 306.67 ग्राम पाया गया।

- **कोरण्डम–** जिला दन्तेवाड़ा में कोरण्डम खनिज के महत्वपूर्ण भण्डार भोपालपट्नम क्षेत्र में पाये जाते है। इस क्षेत्र में कोरण्डम के 50 टन भण्डार अनुमानित है।

- **फ्लुओराइट–** जिला महासमुंद के चुराकुट्टा, मकरमुत्ता, घाट–कछार आदि ग्रामों के आस–पास फ्लुओराइड खनिज के खनिजीकरण के संकेत अंकित किये गये है। इस खनिज के निक्षेप राजनांदगांव जिले में चांदीडोंगरी के आस–पास भी पाये जाते है। प्रदेश में निम्न श्रेणी फ्लुओराइट के कुल 1.45 मिलियन टन भंडार विदित है।

- **अन्य खनिज–** प्रदेश में क्वार्टज खनिज जो कि सिलिका ब्रिक्स बनाने हेतु उपयोगी है, जिला राजनांदगांव के बोरतालाब, पनियाजोब ग्रामों के आस–पास प्राप्त होता है। अग्नि मृत्तिका (फायरक्ले) खनिज जिला कोरिया के वामपुरा, नवापारा तथा विश्रामपुर क्षेत्रों में पाया जाता है। यह खनिज पाटरीज तथा सिरामिक उद्योगों हेतु उपयुक्त है। जिला दंतेवाड़ा में सिलिमेनाइट तथा जिला बस्तर में सोपस्टोन के निक्षेप अल्प मात्रा में पाये गये है।

- **गौण खनिज–** छत्तीसगढ़ में गौण खनिजों का भी उत्पादन होता है। गौण खनिजों की श्रेणी में रेत तथा बजरी पत्थर, मिट्टी, मुरम, चूना–पत्थर, ग्रेनाइट तथा मार्बल आते है। ग्रेनाइट एवं मार्बल को छोड़कर अन्य गौण खनिज प्रदेश के अधिकांश जिलों में पाये जाते है।

2.2 प्रमुख सांख्यिकी

2.2.1 प्रमुख खनिजों के भण्डारः

क्र.	खनिज का नाम	इकाई	देश में कुल भण्डार	छत्तीसगढ़ में कुल भंडार	देश में छ.ग. का प्रतिशत
1	कोयला *	मिलियन टन	253302	41442	16.36
2	लौह अयस्क (हेमेटाइट)	मिलियन टन	14630	2731	18.67
3	चूनापत्थर (सभी श्रेंणी)	मिलियन टन	175345	9038	5.15
4	डोलोमाइट	मिलियन टन	7533	847	11.24
5	बाक्साइट	मिलियन टन	3290	148	4.50
6	टिन अयस्क	मिलियन टन	86.55	32.62	37.69
	टिन धातु	टन	101237	14449	14.27
7	क्वार्टजाइट	मिलियन टन	1145	26	2.27
8	क्वार्टज एण्ड सिलिका सेंड	मिलियन टन	3238	1.5	0.46
9	फ्लोराइट	मिलियन टन	20	0.55	2.75
10	हीरा	लाख कैरेट	46	13	28.26
11	फायर क्ले	मिलियन टन	705	21	2.99
12	क्ओलिन (चयना क्ले)	मिलियन टन	2596	15	0.58
13	कोरण्डम	टन	83795	885	1.06
14	स्वर्ण ओर (प्रायमरी)	मिलियन टन	390	0.9	0.23
	स्वर्ण धातु (प्रायमरी)	टन	491	2.7	0.55
15	गारनेट	मिलियन टन	58	0.03	0.05
16	टाल्क/स्टीयटाइट सोपस्टोन	मिलियन टन	312	0.11	0.04
17	ग्रेनाइट	लाख घन मीटर	37426	50	0.13
18	मार्बल	मिलियन टन	1793	83	4.63

*संदर्भ :— * जियॅालाजिकल सर्वे आफ इण्डिया की कोल न्यूज 2006 के अनुसार।*
इण्डियन ब्यूरो ऑफ माइन्स की मिनरल इयर बुक 2006 के अनुसार ।

2.2.2 खनिजों की उत्पादन मात्रा – समूहवार

(मात्रा लाख टन में)

वित्तीय वर्ष	कोयला	धात्विक खनिज	अधात्विक खनिज	गौण खनिज	योग
2005–06	763.38	260.99	159.29	74.28	1258.14
2006–07	832.45	304.04	161.30	94.96	1392.75
2007–08 (दिसम्बर, 07 तक)	603.38	220.91	120.97	71.22	1016.48

2.2.3 उत्पादित खनिजों का मूल्य – समूहवार

(राशि लाख रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	कोयला	धात्विक खनिज	अधात्विक खनिज	गौण खनिज	योग
2005–06	460106.40	152611.72	21167.88	5044.94	639230.94
2006–07	501774.00	178252.00	25580.00	7519.00	713125.00
2007–08 (दिसम्बर,, 07 तक)	363894.71	129514.70	19184.21	5639.25	518232.87

* * *

भाग – तीन

विभागीय बजट

3.1 बजट प्रावधान तथा व्ययः

विभागीय बजट का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाख रूपयों में)

विभागीय बजट अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	2006–2007		2007–2008	
	बजट	व्यय	बजट	व्यय (दिसम्बर, 07)
मांग संख्या 25 (क) आयोजना	–	–	–	–
(ख) शीर्ष 4853				
6701 खनिज निधि से व्यय	1000.00	871.00	4117.14	2000.00
मांग संख्या – 80 (ग) आयोजना पंचायतों का अंतरण	1112.27	1112.27	4265.50	4265.50
मांग संख्या–25 (ड.) आयोजनेत्तर	4756.98	4449.54	5485.99	4268.20
भारित (अ) आरक्षित निधि	0.50 3500.00	0 3500.00	0.50 4120.00	0 3610.00
महायोग :–				
मांग संख्या 25–2853	4756.98	4449.54	5485.99	4268.20
मांग संख्या 25–4853	1000.00	871.00	4117.14	2000.00
भारित	0.50	0	0.50	0
आरक्षित निधि	3500.00	3500.00	4120.00	3610.00
मांग संख्या – 80 (पंचायतों का अंतरण)	1112.27	1112.27	4265.50	4265.50

3.2 छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि के लिए प्रावधानः

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के दायित्वों तथा कार्य–कलापों के सम्पादन हेतु विशेषकर खनिजों के अन्वेषण तथा खोज करने, छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खनिजों के उत्खनन, संयुक्त उपक्रमों में भागीदारी, अधोसंरचना निर्माण कराने तथा राज्य में खनिज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने आदि प्रयोजनों के लिये संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि अधिनियम 2003 बनाकर छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि का गठन किया गया है । अधिनियम में विगत वित्त वर्ष में प्राप्त खनिज राजस्व के 5 प्रतिशत तक की राशि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि के लिये उपलब्ध कराने का प्रावधान है ।

विगत तीन वर्षो में इस मद में निम्नानुसार धनराशि का प्रावधान किया गयाः–

(राशि लाख रूपयों में)

वर्ष	प्रावधानित राशि	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि में अन्तरण की गई राशि
2005–06	1000	1000
2006–07	3500	3500
2007–08	4120	3610 (दिसम्बर 2007 तक)

* * *

भाग – चार

विभाग व्दारा सम्पादित कार्य

4.1 खनिज अन्वेषण कार्य (दिसम्बर 2007 तक)

खनिजों की बहुलता, प्रचुरता तथा विशिष्ट गुणवत्ता के कारण छत्तीसगढ, देश में अपना विशिष्ट स्थान बनाये हुये है । छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खनिजों के अनुसंधान, विकास तथा इन पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है जिससे विकास के लिए सुदृढ आधारभूत संरचना तैयार हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर विभाग द्वारा खनिजों के अन्वेषण का कार्य प्राथमिकता से चलाए जाने से नए खनिज के भण्डार प्रकाश में आए हैं । इन खनिज भण्डारों से प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना से रोजगार के नए अवसर के साथ साथ समग्र रूप से क्षेत्र का विकास भी परिलक्षित हो रहा है।

छत्तीसगढ़ शासन के खनिज साधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यक्रम 2007–08 के अंतर्गत प्रदेश में लौह अयस्क, बाक्साइट, कोयला, चूनापत्थर आदि खनिजों हेतु सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है । केन्द्र सरकार के साइंस एवं टेक्नालाजी विभाग द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट ''डीप कान्टीनेन्टल स्टडीज़'' हेतु बस्तर जिले की चट्टानों का विस्तृत अध्ययन का कार्य प्रगति पर है । जिलेवार खनिजीय एवं भौमिकीय जानकारी तैयार करने के लिए राजनांदगांव जिले की खनिज तालिका का कार्य प्रारंभ किया गया है ।

खनिज अन्वेषण कार्यो का विवरण एवं उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैः–

4.1.1 कोयला –

विभाग द्वारा रायगढ़ जिले में सी.एम.डी.सी. को आबंटित कोल ब्लाक. गारेपेलमा सेक्टर 1 क्षेत्र में 1076.15 मीटर ड्रिलिंग की गई है। इस क्षेत्र में कोयले के प्रारंभिक गणना के अनुसार 400 लाख टन भण्डार अनुमानित है तथा कोयले के अतिरिक्त भण्डारों की आंकलन का कार्य भी प्रगति पर है। कोरबा जिले के सैला क्षेत्र में कोयला खनिज भण्डारों के आंकलन हेतु पूर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया है। इस क्षेत्र में 165.00 मीटर ड्रिलिंग कार्य किया जा चुका है।

4.1.2 लौह अयस्क –

लौह अयस्क की बढती मांग के अनुरूप दन्तेवाड़ा जिले के बैलाडीला क्षेत्र में लौह अयस्क के भण्डारों के लिए 55 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा चुका है फलस्वरूप ग्राम कामालूर, गोंदापाल, पेण्डावार, मासौदी आदि में 50 लाख टन लौह अयस्क के भण्डार चिन्हित हुए है । इस क्षेत्र में पाए जाने वाला लौह अयस्क उच्च श्रेणी का है तथा इसमें Fe की मात्रा 60 से 66 % तक पाई गई है।

कांकेर जिले के रावघाट क्षेत्र में 89 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा चुका है, प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार ग्राम तारोकी, तुमापाल, पेड़वेरा तथा हुरतराई में 150 लाख टन लौह अयस्क के भण्डार चिन्हित किए गए है । इस क्षेत्र में पाये जाने वाले लौह अयस्क में 60 से 68 % तक Fe की मात्रा है ।

4.1.3 बाक्साइट –

विभाग द्वारा सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र में ग्राम पथराई (पश्चिम क्षेत्र) में 1.31 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का भौमिकीय मानचित्रण तथा 109 बोरहोल पूर्ण कर 1127.80 मीटर ड्रिलिंग एवं 48 घन मीटर पिटिंग कार्य किया गया तथा क्षेत्र से 327 नमूने एकत्र किए गये प्रारंभिक गणना के अनुसार 90,000 टन बाक्साइट के भण्डार अनुमानित किये गये है।

4.1.4 सीमेन्ट श्रेणी चूनापत्थर –

विभाग द्वारा कबीरधाम जिले की सोहागपुर/उड़का क्षेत्र में सीमेन्ट श्रेणी चूनापत्थर धारित क्षेत्रों का पूर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है । इस क्षेत्र में 185.10 मीटर ड्रिलिंग कर 10 बोरहोल पूर्ण किये गये है । इस कार्य के साथ साथ 135 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का सर्वेक्षण तथा 0.52 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का विस्तृत मानचित्रण कार्य कर 98 नमूनों को परीक्षण/विश्लेषण हेतु भेजा गया है । सर्वेक्षण के दौरान खपरी, बनिया, लालपुर, बिरनपुर आदि ग्रामों में चूनापत्थर प्राप्त हुआ है।

4.1.5 अल्ट्रामेफिक/मेफिक चट्टानों में खनिजीकरण –

केन्द्र शासन के साइंस एवं टेक्नालाजी विभाग के सहयोग से ''डीप कान्टीनेन्टल स्टडीज़'' प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बस्तर जिले के कोण्डागांव के पूर्व क्षेत्र में अल्ट्रामेफिक/मेफिक चट्टानों में व्याप्त विभिन्न खनिजों के खनिजीकरण हेतु सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया है । इस क्षेत्र में 340 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का सर्वेक्षण कर 78 नमूनों का एकत्रीकरण किया गया है, कार्य प्रगति पर है।

4.1.6 जिलेवार खनिज तालिका का निर्माण –

जिलेवार खनिजीय एवं भौमिकी जानकारी एकत्र करने हेतु प्रदेश के 12 जिलों का Districtwise Mineral Inventory Survey पूर्ण हो चुका है ।

कबीरधाम जिले के 152 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कर क्षेत्र से प्राप्त 66 नमूने विश्लेषण हेतु भेजे गए है । सर्वेक्षण के दौरान बोदलपानी, सोनवाही तथा बंदरीपानी ग्रामों में 29.8 लाख टन मेटल ग्रेड बाक्साइट के भंडार चिन्हित किये गये है। इस जिले में उक्त सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो गया है।

राजनांदगांव जिले की खनिज तालिका के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें 1025 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का सर्वेक्षण कर क्षेत्र से 148 नग नमूने रसायनिक विश्लेषण हेतु भेजे गये।

सर्वेक्षण के दौरान ग्राम लिमोना खेरबार में चूनापत्थर, ग्राम बासावर में सेन्डस्टोन/क्वार्टजाइट तथा ग्राम मागरकुंड में लौह अयस्क के क्षेत्र चिन्हित किये गये है ।

4.1.7 अन्य उपलब्धियॉ –

- विभाग द्वारा भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2007 नई दिल्ली में खनिजों की जानकारी प्रदान करने के लिये छत्तीसगढ़ पेवेलियन में स्टाल लगाया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2007 में विभाग की भागीदारी रही ।
- विभाग व्दारा छत्तीसगढ़ में खनिजों की उपलब्धता के प्रचार प्रसार हेतु जानकारीयुक्त पम्पलेट तैयार कर जन सामान्य को उपलब्ध कराये जा रहे है।
- छत्तीसगढ़ शासन की सूचना के अधिकार के अन्तर्गत वेबसाइट में विभागीय जानकारी का समावेश किया गया ।
- खनि रियायत के 164 प्रकरणों में खनिजों की श्रेणी का निर्धारण किया गया है ।
- उद्यमिओं को विभागीय प्रतिवेदनों की प्रमाणित प्रतियॉ उपलब्ध कराने से विभाग को लगभग 1.47 करोड़ रुपये की आय हुई है ।

4.1.8 वर्ष 2007–08 में विभागीय कार्यो के लक्ष्य एवं उपलब्धियॉ निम्नानुसार है :–

(दिसम्बर 2007 तक)

क्र.	कार्य का प्रकार	इकाई	लक्ष्य	कार्य	प्रतिशत
1.	सर्वेक्षण/मानचित्रण	वर्ग कि.मी.	3000	1222	40.73
2	पिटिंग/ट्रेचिंग	घन मीटर	100	30	30.00
3	ड्रिलिंग	मीटर	4000	1907	47.68
4.	नमूनों का विश्लेषण	मूलकों की संख्या	16000	16423	102.64

4.2 खनिज प्रयोगशालाएं

4.2.1 रसायनिक प्रयोगशाला – प्रदेश में पाये जाने वाले विभिन्न खनिजों के गुणात्मक अध्ययन हेतु रासायनिक प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषण किया जाता है । इस कार्य हेतु संचालनालय रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में विभागीय रासायनिक प्रयोगशालाऍं कार्यरत है । बिलासपुर स्थित प्रयोगशाला में कोयला विश्लेषण का कार्य भी किया जाता है । प्रतिवेदित अवधि में विभागीय रसायनिक प्रयोगशालाओं में विभिन्न खनिजों के 3582 नमूनों को विश्लेषित कर 18104 मूलकों की उपस्थिति ज्ञात की गई है । इन प्रयोगशालाओं में व्यवसायिक विश्लेषण कार्य भी किया जाता है । वर्ष 2007–08 में 200 व्यवसायिक नमूनों को विश्लेषित कर 1,25,400/– रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है ।

4.2.2 प्रस्तर प्रयोगशाला – संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश में किये जानेवाले समस्त भौमिकी अन्वेषण कार्यो के दौरान क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा एकत्रित प्रस्तर, खनिज एवं अयस्क के नमूनों का विस्तृत प्रस्तर अध्ययन/परीक्षण कर उनकी सही–सही पहचान की जाती है तथा इस जानकारी से क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके कार्यो को सही दिशा एवं गति देने में सहायता प्राप्त होती है । प्रतिवेदित अवधि में 307 नमूनों की थिन सेक्शन स्टडी एवं 46 पुलिस प्रकरण के नमूनों का प्रस्तरीय अध्ययन किया गया है ।

विभाग की प्रस्तरशाला द्वारा भवन निर्माण एवं सजावटी पत्थरों की गुणवत्ता के आंकलन हेतु ग्रेनाइट कटिंग/पालिशिंग मशीन भी स्थापित की गई है ।

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ की प्रयोगशालाओं द्वारा उक्त कार्य के अलावा अन्य शासकीय विभागों, जिलाध्यक्षों, खनिज अधिकारियों एवं पुलिस विभाग द्वारा जप्त प्रस्तर/खनिज/अयस्क नमूनों का रसायनिक एवं प्रस्तरीय परीक्षण कर उनकी पहचान की जाती है ।

4.3 खनिज प्रशासन

खनिज प्रशासन विभाग का महत्वपूर्ण अंग है। खनिजो के संरक्षण के साथ–साथ इनका संवर्धन एवं सुनियोजित दोहन आवश्यक है। खनिज प्रशासन का जिला स्तर पर नियंत्रण जिलाध्यक्ष के अधीन है। खनिज प्रशासन के जिला स्तर पर पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जिलाध्यक्षों के नियंत्रण में खनिज रियायत आवेदन पत्रों का निराकरण, स्वीकृत खनिपट्टों में विभिन्न खनि विधानों का क्रियान्वयन, खनिज राजस्व निर्धारण एवं वसूली, खनिजों तथा खनिज राजस्व की चोरी की रोक एवं नियंत्रण आदि कार्य संपादित किये जाते हैं। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों तथा नियमों के अंतर्गत विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यों का निष्पादन किया जाता है –

4.3.1 मुख्य खनिजों की खनिज रियायतों (आवेदनों) का निराकरण – खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के अनुसार मुख्य खनिजों की खनिज रियायतों के आवेदनों के निराकरण का अधिकार राज्य शासन को है।

राज्य शासन व्दारा खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 9 के उप नियम (1) तथा नियम 22 के उप नियम (1) व्दारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत राज्य में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की अनुसूची–एक में उल्लेखित खनिजों के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा खनिपट्टा स्वीकृति के आवेदन या नवीनीकरण के आवेदनों को प्राप्त करने के लिए दिनांक 15.1.2007 से संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को प्राधिकृत किया गया है ।

जनवरी 2007 से जनवरी, 2008 तक निम्नानुसार खनिज रियायतों के आवेदनों का निराकरण किया गया हैः–

खनिज	स्वीकृत			भारत सरकार को अनुशंसित			निरस्त
	खनि पट्टा	पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति	आर.पी.	खनि पट्टा	पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति	आर.पी.	
कोयला	–	–	–	01	–	–	02
लौह अयस्क	–	–	–	03	19	–	105
चूनापत्थर	–	03	–	–	–	–	70
बाक्साइट	–	–	–	–	–	–	40
टिन	02	02	–	–	–	–	–
कोरण्डम	–	–	01	–	–	–	–
पायरेक्सोनाइट	–	–	01	–	–	–	–
गोल्ड/डॉयमंड बेसमेटल	–	–	03	–	–	02	01
अन्य खनिज	03	04	–	–	–	–	44
कुल योग	05	09	05	04	19	02	262

4.3.2 गौण खनिजः— गौण खनिज रियायतों के आवेदनों के निराकरण के अधिकार छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 के अनुसार शासन/संचालक/जिला कलेक्टर को है । खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 15 के अन्तर्गत राज्य शासन को गौण खनिजों के लिए नियम बनाने के अधिकार दिये गये है । वर्तमान में लागू गौण खनिज की रायल्टी की दरें 1 सितम्बर 2005 से प्रभावशील है, जो निम्नानुसार हैः—

क्र.	गौण खनिज	रायल्टी दरें
1.	आकारीय पत्थर ग्रेनाइट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानें जिनका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है :—	
	क— काला रंग	रू0 750/— प्रति घन मीटर
	ख— अन्य रंग	रू0 400/— प्रति घन मीटर
2.	संगमरमर जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिये किया जाता है।	रू0 200/— प्रति घन मीटर
3.	अन्य प्रयोजन के लिये संगमरमर पत्थर	रू0 75/— प्रति घन मीटर
4.	फ्लेगस्टोन—प्राकृतिक परतदार पत्थर जिसका उपयोग फर्श छत आदि के लिये किया जाता है ।	रू0 75/— प्रति घन मीटर
5.	साधारण रेत, बजरी **	रू0 15/— प्रति घन मीटर
6.	मुरूम	रू0 15/— प्रति घन मीटर
7.	पत्थर	
	(क) बोल्डर	रू0 30/— प्रति घन मीटर
	(ख) गिट्टी, रोड मेटल	रू0 40/— प्रति घन मीटर
	(ग) परिष्कृत पत्थर, खण्डा, ढोका	रू0 40/— प्रति घन मीटर
8.	मिट्टी, ईट एवं टाइल्स निर्माण हेतु	रू0 15/— प्रति घन मीटर
9.	अन्य गौण खनिज	रू0 30/— प्रति घन मीटर

टीप—*चूनापत्थर के बारे में स्वामित्व की दर वही होगी जो भारत सरकार व्दारा अधिनियम की सूची—दो में चूनापत्थर के लिये समय—समय पर नियत की जाए ।*

** *दिनांक 1.4.2006 से प्रभावशील ।*

4.3.2.1 दिनांक 1 अप्रेल 2006 से रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के अधिकार ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय को दिये गये है. रेत पर 15 रू. प्रति घन मीटर की दर से रायल्टी निर्धारित की गई है। रेत की रायल्टी से प्राप्त राशि सीधे तौर पर पंचायतों/नगरीय निकायों को प्राप्त हो रही है।

4.3.2.2 अनुवांशिक कुम्हार, अनुसूचित जाति के सदस्य या अनुसूचित जनजाति के सदस्य या ऐसे कुम्हारों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सहकारी सोसायटी को परंपरागत सांधनों से कवेलू, बर्तन या ईट बनाने के लिए, (परन्तु भट्टो में निर्माण क्रिया व्दारा या यांत्रिक साधनों व्दारा नहीं) ग्राम पंचायतों व्दारा उनके अपने-अपने क्षेत्र के भीतर विनिश्चित और निर्धारित स्थानों से मिट्टी तथा रेत का उत्खनन निशुल्क किये जाने का प्रावधान किया गया।

4.3.2.3 पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से नदी, नालों, बांध, पुल तथा राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से 100 मीटर के भीतर गौण खनिज के उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

4.3.3 **बहुमूल्य खनिजों की खोज का कार्य** – विगत वर्ष के दौरान हीरा, सोना आदि बहुमूल्य खनिजों की खोज के लिए 2000 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में टोही अनुज्ञा पत्रों के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किए गए है। चालू वित्तीय वर्ष में हीरा एवं अन्य बहुमूल्य खनिजों के सर्वेक्षण हेतु 9632 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर 5 रिकोनेसेन्स परमिट स्वीकृत किये गये है।

4.3.4 **खनिज राजस्व की वसूली** – खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के अधीन मुख्य खनिजों पर देय रायल्टी की दरों के निर्धारण का अधिकार भारत सरकार को हैं। गौण खनिजों पर देय रायल्टी की दरो के निर्धारण का अधिकार राज्य शासन को है।

विगत 2 वर्षों एवं वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्राप्त खनिज राजस्व का विवरण निम्नानुसार हैः–

(राशि लाख रूपयों में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व लक्ष्य	राजस्व प्राप्ति			लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्ति का प्रतिशत
		मुख्य खनिज	गौण खनिज	कुल	
2005–06	70645.00	70912.95	2872.13	73785.08	104.44
2006–07	82462.00	78681.44	4553.46	83234.90	100.94
2007–08 (दिसम्बर 2007 तक) अनन्तिम	104800.00	66720.02	2831.61	69551.63	66.37

राजस्व प्राप्तियॉ – जिलावार:

(राशि लाख रूपयों में)

जिला	2005–2006			2006–2007			2007–2008 (दिसम्बर 2007 तक) अनन्तिम		
	मुख्य	गौण	योग	मुख्य	गौण	योग	मुख्य	गौण	योग
रायपुर	5164.11	494.17	5658.28	5157.17	584.38	5741.55	3615.37	682.55	4297.92
धमतरी	0.06	63.53	63.59	0.20	123.78	123.98	2.68	88.99	91.67
महासमुन्द	2.41	75.88	78.29	5.87	191.90	197.77	4.92	81.32	86.24
राजनांदगांव	89.44	73.32	162.76	31.84	270.75	302.59	22.95	283.61	303.56
कबीरधाम	80.58	35.35	115.93	485.36	66.44	551.80	456.84	44.43	501.27
दुर्ग	1813.41	274.82	2088.23	2013.61	376.93	2390.54	1560.86	240.39	1801.25
बस्तर	53.61	114.45	168.06	33.94	204.41	238.35	13.64	94.95	108.59
कांकेर	30.03	46.13	76.16	26.07	100.94	127.01	6.32	51.29	57.61
दन्तेवाड़ा	2415.44	91.62	2507.06	3796.82	103.04	3899.86	2843.33	78.59	2921.92
बिलासपुर	508.44	296.87	805.31	483.80	452.87	936.67	402.04	176.33	578.37
कोरबा	38627.12	141.91	38769.03	41934.28	212.13	42146.41	37078.17	49.14	37127.31
जांजगीर	841.18	554.70	1395.88	1144.12	844.01	1988.13	922.01	470.64	1392.65
रायगढ़	4046.41	297.91	4344.32	5276.26	408.29	5684.55	5353.18	234.92	5588.10
जशपुर	5.10	92.55	97.65	6.75	150.69	157.44	6.89	71.30	78.19
सरगुजा	6984.49	154.90	7139.39	7182.06	348.60	7530.66	5094.34	112.71	5207.05
कोरिया	10251.12	64.02	10315.14	11103.29	114.30	11217.59	9339.48	70.45	9409.93
योग	70912.95	2872.13	73785.08	78681.44	4553.46	83234.90	66720.00	2831.61	69591.63

4.3.5 खनिजों के अवैध खनन् तथा परिवहन की रोकथाम– प्रदेश में खनिजों की चोरी रोकने व रायल्टी अपवंचन की जांच हेतु संचालनालय स्तर पर केन्द्रीय उड़नदस्तें कार्यरत है।

राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय टास्कफोर्स का गठन किया गया है, जिनकी लगातार बैठक कर कार्यवाही की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में माह दिसम्बर 2007 तक अवैध परिवहन के 1242 प्रकरणों में रू. 49.39 लाख की राशि वसूल की गई तथा अवैध उत्खनन के 217 प्रकरण दर्ज कर रू. 25.68 लाख की राशि वसूल की गई।

खनिजों के अवैध उत्खनन् एवं परिवहन की रोकथाम हेतु प्रदेश के प्रमुख खनिज परिवहन मार्गों पर 45 खनिज जॉच चौंकियॉ स्थापित की गई है । कोरबा जिले में 04 तथा रायगढ़ जिलें में 01 तौल कांटा स्थापित किये गये है। इसके अतिरिक्त रायगढ़, सरगुजा, बस्तर तथा कबीरधाम जिलों में प्रमुख खनिज परिवहन मार्गो पर 1–1 तौल कांटे लगाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

* * *

भाग – पांच

छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सी.एम.डी.सी.)

5.1 सी.एम.डी.सी. का गठन :–

राज्य विभाजन के फलस्वरूप कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का गठन 7 जून 2001 को किया गया ।

5.2 सी.एम.डी.सी. के गठन के समय मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड (एम.पी.एस.एम.सी.) के पक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित खनि रियायतें स्वीकृत थी :–

क्र.	खनिज का नाम	खनि रियायतों की संख्या
1	बाक्साईट	03
2	टिन	01
3	रेत	96

5.3 मध्यप्रदेश स्टेट मायनिंग कार्पोरशन (एम.पी.एस.एम.सी.) के बंटवारे में यह सहमति हुई कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र की खनि रियायतें सीएमडीसी को अंतरित होंगी । भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.10.2005 को दोनों राज्यों के राज्य खनिज निगमों के मध्य बटवारा–समझौते को स्वीकृति दी गई, जिसके अनुसरण में मध्यप्रदेश स्टेट मायनिंग कार्पोरशन की अस्तियों और दायित्वों के विभाजन के संबंध में करार निष्पादन की कार्यवाही अंतिम चरण पर है ।

5.4 सीएमडीसी के गठन के समय छत्तीसगढ़ राज्य में कार्पोरेशन का मुख्य व्यवसाय रेत उत्पादन था। राज्य शासन द्वारा दिनांक 26.1.2003 से रेत को रायल्टी मुक्त करते हुए रेत खदानों को खुला घोषित कर दिया गया । फलस्वरूप सीएमडीसी का व्यवसाय नगण्य प्रायः रह गया ।

5.5 सीएमडीसी द्वारा अन्य व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए अपनी भावी कार्य योजना तैयार की गई है, जिसका राज्य शासन द्वारा 29 अक्टूबर, 2004 को अनुमोदन प्रदान किया गया । अनुमोदित कार्य योजना में कार्पोरेशन द्वारा किये जाने वाले अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कार्य चिन्हित किये गये हैं ।

5.6 कार्पोरेशन की अल्पकालीन/मध्यकालीन कार्य योजना के अनुसार कार्पोरेशन द्वारा मुख्य खनिजों की खनि रियायतें प्राप्त कर स्वतः अथवा संयुक्त उपक्रमों का गठन करके व्यवसाय बढ़ाना है । मुख्य खनिजों का व्यवसाय बढ़ाने के लिए कार्पोरेशन द्वारा बॉक्साइट, टिन, कोरण्डम, डोलोमाइट,

लौह अयस्क तथा कोयला खनिजों की खनि रियायतें प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई। परिणाम स्वरूप कार्पोरेशन के पक्ष निम्न विवरण अनुसार खनिज रियायतें स्वीकृत की गई है :—

5.6.1 रिकोनेसेंस परमिट —

क्र.	खनिज का नाम	आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	क्षेत्र का नाम	रकबा वर्ग किलोमीटर	स्वीकृत / अस्वीकृत
1	टिन खनिज	04.07.2006	दन्तेवाड़ा	4800	स्वीकृत
2	कोरण्डम खनिज	07.04.2007	बीजापुर	3230	स्वीकृत

5.6.2 खनिपट्टों/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति :—

क्र.	खनिज का नाम	खनिपट्टा		पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति	
		आवेदित	स्वीकृत	आवेदित	स्वीकृत
1	बाक्साइट	40	17	5	—
2	टिन	21	9	10	9
3	कोरण्डम	3	2	6	—
4	डोलोमाइट	—	1	—	—
5	कोयला	1	—	3	—
6	लौह अयस्क	8	—	12	1
	योग	**73**	**29**	**36**	**10**

5.6.3 भारत सरकार को पूर्वानुमोदन हेतु अनुशंसित खनि रियायतों का विवरण :—

क्र.	खनिज	खनिपट्टा	प्रास्पेक्टिंग लायसेंस
1	कोयला	01	—
2	लौह अयस्क	—	01
	कुल	**01**	**01**

5.7 कार्पोरेशन के पक्ष में स्वीकृत प्रॉस्पेक्टिंग लायसेंसों और खनिपट्टों के क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत् अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही विभिन्न चरणों में प्रचलन में हैं । आगामी वर्षो में बॉक्साइट, टिन तथा कोरण्डम के कई क्षेत्रों में खनन कार्य प्रारंभ होने की सम्भावना है । वर्तमान में बॉक्साइट खनिज के 6 खदानें एवं टिन अयस्क की 4 खदानें कार्यशील हैं । टिन अयस्क की खदानें संयुक्त प्रक्षेत्र कम्पनी मेसर्स प्रेशियस मिनरल्स के माध्यम से संचालित है । सी0एम0डी0सी0 द्वारा बाल्को कोरबा को बाक्साइट खनिज के उत्खनन एवं विपणन का 3 वर्ष के लिए ठेका दिया गया है, जिसकी अवधि फरवरी 2007 से जनवरी 2010 तक निर्धारित है। बॉक्साइट खनिज के उत्खनन एवं विपणन से कार्पोरेशन को प्रत्येक वर्ष में शुद्ध आय के रूप में रूपये 1,96,00,000/— तथा राज्य शासन को खनिज राजस्व के रूप में राशि रूपये 96,00,000/— तथा वाणिज्य कर के रूप में

राशि रूपये 11,52,000/– की प्राप्ति होगी । वर्तमान में कार्पोरेशन व्दारा स्थानीय आदिवासियों की सहकारी समिति के माध्यम से टिन खनिज राशि रूपये 220/– प्रति किलोग्राम एवं कोलम्बाईट खनिज रूपये 310/– प्रति किलोग्राम की दर से क्रय किया जा रहा है ।

5.8 वर्ष 2007–08 (दिसम्बर 2007 तक) तक खनिज क्रय/विक्रय का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	खनिज का नाम	क्रय मात्रा	विक्रय मात्रा
1	टिन	26550.900 किलोग्राम	29500.600 किलोग्राम
2	कोलम्बाईट	11441.300 किलोग्राम	0
3	बाक्साइट	84582.750 टन	84582.750 टन

5.9 कोयला खनिज :–

भारत सरकार कोयला मंत्रालय व्दारा सी.एम.डी.सी. के पक्ष में दिनांक 13.8.2003 को तारा कोयला ब्लॉक एवं दिनांक 02.8.2006 को गारेपेलमा सेक्टर–ए दिनांक 25.7.2007 को चेण्डीपाड़ा एवं चेण्डीपाड़ा–2, सोंढ़िया कोयला ब्लॉक तथा शंकरपुर (भटगांव–2) एण्ड एक्टेंशन क्षेत्रों पर कोयला खनिज के क्षेत्र आबंटित किए गए हैं ।

5.9.1 तारा कोयला परियोजना के विकास के लिए कार्पोरेशन द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण :–

क्र.	विषय	विवरण
1	जियोलाजिकल रिपोर्ट प्राप्त करने की तिथि	20 अप्रेल 2005
2	माईनिंग लीज की स्थिति	खनिपट्टा आवेदन भारत सरकार को अनुशंसित ।
3	फिजिबिलीटी रिपोर्ट एवं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट	तैयार हो गई है ।
4	भू–अर्जन की स्थिति	भू–अर्जन हेतु आवेदन दिनांक 7.8.2006 को कलेक्टर, सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है तथा पुनर्वास योजना अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है । अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर भू–अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी ।
5	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाकर दिनांक 09.01.08 को गैर वन भूमि अनुपलब्धता संबंधी मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा वन प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु प्रकरण सी0सी0एफ0 (भू–प्रबंध) रायपुर के समक्ष विचाराधीन है ।
6	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से क्लीयरेन्स की स्थिति	ई0आई0ए0 रिपोर्ट स्टेट पालूशन कंट्रोल बोर्ड को लोक सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गई है ।
7	माईनिंग प्लान	अनुमोदित
8	कोल उत्पादन का लक्ष्य	दिसम्बर–2008

सीएमडीसी को आबंटित तारा कोयला ब्लाक से सीएसईबी, इफको तथा सीएमडीसी की ज्वाइंट वेन्चर कोल कंपनी बनाकर कोयले का उत्पादन किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में ज्वाइंट वेन्चर एग्रीमेंट कर लिया गया है । इस कोयला ब्लॉक से उत्पादन किये जाने वाले कोयले से इफको – सीएसईबी के संयुक्त उपक्रम में स्थापित होने वाले 1000 मेगावॉट के थर्मल पावर प्लांट की आवश्यकता की पूर्ति की जावेगी । शेष कोयले की आपूर्ति ऐसे लघु एवं मध्यम स्थानीय उद्योगों जिनके पास स्वयं की केप्टीव कोल माइन्स नहीं है तथा कोयले का लिंकेज भी नहीं है, की मांग की आपूर्ति की जाएगी.

5.9.2 **गारे–पेलमा सेक्टर–1** : कोल ब्लाक के विकास के लिए की गई कार्यवाही का विवरण

(अ) आबंटित गारेपेलमा कोल ब्लाक क्षेत्र हेतु सी.एम.डी.सी. द्वारा दिनांक 20.10.2006 को जिला कार्यालय रायगढ़ में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

(ब) लैण्डयूज प्लान, सर्वे डिमार्केशन पूर्ण । वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् कार्यवाही प्रचलित है ।

(स) कोल ब्लॉक का विस्तृत अन्वेषण का कार्य भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम मेसर्स एम.ई.सी.एल. द्वारा जारी है ।

5.9.3. **चेण्डीपाड़ा एवं चेण्डीपाड़ा –2** : कोल ब्लाक के विकास के लिए की गयी कार्यवाही का विवरणः–

(अ) भारत सरकार कोयला मंत्रालय द्वारा सी.एम.डी.सी. को दिनांक 25.7.2007 को चेण्डीपाड़ा एवं चेण्डीपाड़ा–2 कोयला ब्लाक संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, सी.एम.डी.सी. एवं महाराष्ट्र जनरेशन कंपनी को आबंटित किया गया है।

(ब) आबंटित कोल ब्लॉक चेण्डीपाड़ा एवं चेण्डीपाड़ा–2 में कोयला खनिज का उत्खनन तीनों कार्पोरेशनों के संयुक्त उपक्रम कंपनी द्वारा की जावेगी ।

5.9.4 **सोढिंया कोल ब्लॉक :–**

(अ) सोंढिया कोल ब्लाक– भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सी.एम.डी.सी. को दिनांक 25.7.2007 को आबंटित ।

(ब) भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के शर्तानुसार दिनांक 18.12.2007 को रू. 2,85,00,000/– की बैंक गारण्टी भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया।

(स) सोंढिया कोल ब्लॉक की जी.आर. रिपोर्ट जी.एस.आई. कोलकाता से प्राप्त कर ली गयी है, तथा पी.एल. आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है ।

(द) सोंढिया कोयला ब्लॉक हेतु सर्वे, डिमार्केशन, लैण्ड यूज प्लान, माईनिंग प्लान, इन्वायरमेंट एवं फारेस्ट क्लीयरेन्स हेतु निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

5.9.5 **शंकरपुर (भटगांव–2) एण्ड एक्टेंशन :–** भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.7.07 को शंकरपुर (भटगांव) सी.एम.डी.सी. को आबंटित किया गया है।

(अ) भारत सरकार, कोयला मंत्रालय की शर्त अनुसार दिनांक 14.12.2007 को रू. 3,18,00,000/– की बैंक गारण्टी भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया ।

(ब) शंकरपुर (भटगांव) कोयला ब्लाक हेतु जियोलाजिकल रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की जा चुकी है । रिपोर्ट प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलन में है ।

5.10. **लौह अयस्क :–**

5.10.1 **बैलाडीला डिपाजिट 13** – एन.एम.डी.सी. एवं सी.एम.डी.सी. की संयुक्त प्रक्षेत्र कम्पनी बनाने की राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 1.7.2006 को हो गई है । कम्पनी के गठन हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

5.10.2 **आरीडोंगरी लौह अयस्क :–** सी.एम.डी.सी. द्वारा आरीडोंगरी लौह अयस्क क्षेत्र की अन्वेषण का कार्य जी.एस.आई., नागपुर द्वारा कराया जा रहा है।

5.11 राज्य शासन द्वारा सी.एम.डी.सी. को विभिन्न परियोजनाओं के विकास के लिए खनिज विकास निधि से वित्तीय वर्ष 2007–08 में निम्नानुसार मदों में राशि प्रदान एवं निम्नानुसार राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है :–

प्रदान राशि :–

क्र.	मद	राशि (लाखों में)
1	तारा कोल परियोजना	1097
2	लौह अयस्क	200
3	शंकरपुर (भटगांव–2)एण्ड एक्टेंशन कोल ब्लॉक	318
4	सोंडिया कोल ब्लॉक	305

स्वीकृत राशि :–

क्र.	परियोजना का विवरण	मद	आबंटन हेतु स्वीकृत राशि (लाख रू.में)
1	तारा कोल, सूरजपुर तहसील जिला सरगुजा	अन्य मद – जे0व्ही0सी0 के गठन, वन संरक्षण अधिनियम के तहत् अनुमति तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना संबंधी कार्यो हेतु ।	2000.00
2	सी0एम0डी0सी0 को जिला रायगढ़ में आबंटित गारे पेलमा सेक्टर–1 कोल ब्लॉक के विस्तृत अन्वेषण हेतु।	खनिज की खोज एवं अन्वेषण	250.00
3	आरीडोंगरी लौह अयस्क क्षेत्र के विस्तृत अन्वेषण हेतु ।	खनिज की खोज एवं अन्वेषण	50.00
4	सी0एम0डी0सी0 एवं एन0एम0डी0सी0 के मध्य प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम कंपनी के गठन हेतु सी0एम0डी0सी0 के अंशपूंजी	संयुक्त उपक्रम में भागीदारी	200.00
5	सी.एम.डी.सी. को आबंटित जिला सरगुजा में शंकरपुर (भटगांव–2 एण्ड एक्सटेन्शन) कोल ब्लाक के विकास हेतु	1. अन्वेषण मद – जियोलाजिकल रिपोर्ट क्रय करने	1100.61
		2. अन्य मद – भारत सरकार को बैंक गारंटी प्रस्तुत करने बाबत्	318.00
		योग :–	1418.61
6	भारत सरकार कोल मंत्रालय द्वारा सी.एम.डी.सी. को जिला सरगुजा में आबंटित सोडिया कोल ब्लाक के विकास हेतु	1. अन्वेषण मद – जियोलाजिकल रिपोर्ट क्रय करने	20.00
		2. अन्य मद – भारत सरकार को बैंक गारंटी प्रस्तुत करने बाबत्	285.00
		योग :–	305.00
		महायोग :–	4223.61
7	सी.एम.डी.सी. को खनिज निधि से विगत वर्षो में उपलब्ध कराई गई राशि में से व्यय के पश्चात् शेष राशि		116.47
8	सी.एम.डी.सी. को उपरोक्त सरल क्रमांक 1 से 6 परियोजना केलिए कुल प्रदाय की जाने वाली राशि		4107.14

5.12 विगत पांच वर्षो में सी.एम.डी.सी. के वित्तीय परिणाम निम्नानुसार है :–

(रूपये लाखों में)

क्र.	वित्तीय वर्ष	कुल प्राप्ति	कुल व्यय	लाभ/हानि	रिमार्क
1.	2002–03	616.99	530.08	(+) 86.91	
2.	2003–04	195.27	278.45	(–) 83.17	रेत खनिज को रायल्टी मुक्त किये जाने के कारण हानि ।
3.	2004–05	184.40	203.28	(–) 18.88	तदैव
4.	2005–06	91.02	212.74	(–) 121.72	तदैव
5.	2006–07	312.10	425.09	(–) 112.99	

वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित योजनाओं के आय लक्ष्य एवं व्यय प्रावधान (बजट 2007–08) :–

रूपये (लाखों में)

आय लक्ष्य	राजस्व व्यय प्रावधान	पूंजीगत व्यय प्रावधान	बजट आधिक्य
633.05	593.56	27.00	12.50

5.13 कारपोरेशन का वित्तीय ढॉचा :–

सी.एम.डी.सी. की अनुमोदित कार्य योजना में सी.एम.डी.सी. का वित्तीय ढॉचा निम्नानुसार प्रस्तावित है:–

1. वर्तमान में कार्पोरेशन की अधिकृत अंशपूॅजी 5 करोड़ रूपये है, जिसे भविष्य में आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जाएगा ।

2. कॉर्पोरेशन की कार्य योजनाओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में प्रदत्त अंशपूॅजी 1 करोड़ रूपये है, जिसे बढ़ाकर 5 करोड़ रूपये किया जाएगा ।

* * *

भाग – छः

प्रकाशन, प्रशिक्षण एवं सेमिनार सम्मेलन

61. **प्रकाशन –** खनिज सम्पदा के प्रचार प्रसार हेतु इस अवधि मे छत्तीसगढ़ की खनिज सम्पदा पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में पम्पलेट तथा एक बुकलेट "Chhattisgarh, A Treasure Trove of minerals" प्रकाशित की गई ।

6.2 **प्रशिक्षण –** विभाग के अधिकारियों तथ कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण के साथ–साथ अन्य आवश्यक विधाओं में प्रशिक्षण दिया गया ।

6.3 **सेमिनार सम्मेलन –** विभाग के अधिकारियों व्दारा राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सेमिनार तथा प्रदर्शनियों में भाग लिया विवरण निम्नानुसार है :–

(1) भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली 2007

(2) राज्योत्सव रायपुर 2007

* * *

भाग – सात

सारांश

7.1 राज्य में उपलब्ध खनिजों के अन्वेषण विकास तथा दोहन हेतु खनिज साधन विभाग अपने अधीनस्थ संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म तथा छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कार्यशील है।

7.2 विभाग के प्रमुख दायित्वों के अंतर्गत खनिज संसाधनों की खोज, पूर्वेक्षण एवं आंकलन करना, खान एवं खनिजों का विनियमन तथा विकास, खनिज रियायतें देना तथा खनिज राजस्व का संग्रहण आदि है। यह कार्य विभाग व्दारा प्रशासित अधिनियम और नियमों के अंतर्गत किया जाता है।

7.3 राज्य में कोयला, लौह अयस्क, टिन, बाक्साइट, चूनापत्थर, डोलोमाइट, हीरा, फ्लोराइट, संगमरमर, स्वर्ण, धातु, गारनेट, एलेक्जेन्ड्राइट, कोरण्डम आदि के भण्डार उपलब्ध है।

7.4 चालू वित्तीय वर्ष में लौह अयस्क, बाक्साइट, कोयला आदि खनिजों के सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। सर्वेक्षण कार्यो के फलस्वरूप चूनापत्थर तथा बाक्साइट के नये भण्डार तथा लौह अयस्क के नये क्षेत्र चिन्हित किये गये है। कोयला खनिज के नये क्षेत्रों का चिन्हाकंन किया जाकर विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

7.5 हीरा एवं अन्य बहुमूल्य खनिजों के सर्वेक्षण हेतु 6254 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 05 रिकॉनिसस परमिट भी स्वीकृत किये गये है ।

7.6 वर्ष 2007 में टिन अयस्क तथा अन्य खनिजों के 05 खनिपट्टे तथा चूनापत्थर, टिन अयस्क तथा अन्य खनिजों के 09 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत किये गये । कोयला तथा लौह अयस्क के 03 खनिपट्टे तथा लौह अयस्क के 19 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के प्रकरण भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन हेतु भेजे गये है ।

7.7 वर्ष 2007–08 में खनिज राजस्व के निर्धारित लक्ष्य 1048.00 करोड़ के विरूद्व दिसम्बर 2007 तक 695 करोड़ 51 लाख 63 हजार का खनिज राजस्व प्राप्त किया जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का 66.37 प्रतिशत है। इसी दौरान अवैध परिवहन के 1242 प्रकरण दर्ज कर 49 लाख 39 हजार रूपये तथा अवैध उत्खनन के 217 प्रकरण दर्ज कर 25 लाख 68 हजार रूपये का अर्थदण्ड वसूल किया गया है।

7.8 खनिजों के अवैध उत्खनन तथा परिवहन की रोकथाम के लिये राज्य में विभिन्न जिलों में 45 जॉच चौकियों की स्थापना की गई है जो सुचारू रूप से कार्य कर रही है इसके अतिरिक्त रायगढ़ तथा सरगुजा जिलों में 3 तौल कांटे भी स्थापित किये गये है।

7.9 रेत खनन सुनियोजित ढ़ग से करने तथा पंचायतों के लिए अतिरिक्त आय के साधन जुटाने की दृष्टि से दिनांक 1 अप्रेल 2006 से रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के अधिकार ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत/ नगरीय निकाय को दिये गये है. रेत पर 15 रू. प्रति घन मीटर की दर से रायल्टी निर्धारित की गई है। रायल्टी से प्राप्त राशि सीधे तौर पर पंचायतों/नगरीय निकायों को प्राप्त हो रही है।

7.10 विभाग को वित्तीय वर्ष 2007–08 में रूपये 117 करोड़ 51 लाख 49 हजार केवल का बजट आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसके विरूद्ध दिसम्बर 2007 तक रूपये 105 करोड़ 33 लाख 70 हजार केवल का व्यय किया गया है। वर्ष 2007–08 में खनिज विकास निधि से व्यय मद के अंतर्गत रूपये 41 करोड़ 17 लाख 14 हजार की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें से रूपये 20 करोड़ की राशि छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को तारा कोल ब्लाक के विकास के लिये दी गई है।

पंचायतों को वितरण हेतु रूपये 42 करोड़ 65 लाख 50 हजार केवल के बजट प्रावधान की राशि जिला कलेक्टरों को दी जा चुकी है।

7.11 चालू वित्तीय वर्ष में संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म व्दारा विभिन्न खनिजों के सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किये गये। विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न संस्थाओं व्दारा आयोजित सेमीनार/मीटिंग में भाग लिया तथा विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

* * *